

उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1
संख्या- 275 / 71-1001(099)/171/2022
लखनऊ: दिनांक: 24 सितम्बर, 2022

कार्यालय-ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है अब तक निर्गत आदेशों को अवकमित करते हुये समस्त राजकीय मेडिकल कालेजों एवं स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों में संचालित/प्रस्तावित नर्सिंग कालेजों में नर्सिंग पाठ्यक्रमों के शुल्क का निर्धारण एतद्वारा निम्नवत किया जाता है-

क्र०सं०	मद	पोस्ट बेसिक बी०एस०सी० नर्सिंग शुल्क (रूपये में)	बी०एस०सी० नर्सिंग शुल्क (रूपये में)	एम०एस०सी० नर्सिंग शुल्क (रूपये में)
1	2	3	4	5
1	Enrolment fees	As per the university demand	As per the university demand	As per the university demand
2	Admission fees	2000 One Time	2000 One Time	2000 One Time
3	Exam Form Fees	As per the university demand	As per the university demand	As per the university demand
4	Examination fees	As per the university demand	As per the university demand	As per the university demand
5	Mark sheet fees	As per the university demand	As per the university demand	As per the university demand
6	Application fees	100 One Time	100 One Time	100 One Time
7	Tution fees	12000 Per Year	12000 Per Year	24000 Per Year
8	Other fees	4000 Per Year	4000 Per Year	4000 Per Year
9	Development fees	2000 Per Year	2000 Per Year	2000 Per Year
10	Caution Money (Refundable)	10000 One Time	10000 One Time	10000 One Time
11	Sports	100 Per Year	100 Per Year	100 Per Year
12	Computer fees	500 Per Year	500 Per Year	500 Per Year
13	Library fees	2000 Per Year	2000 Per Year	2000 Per Year
14	Hostel fees	2400 Per Year	2400 Per Year	2400 Per Year
15	Electricity charges:	2500 Per Year	2500 Per Year	6000 Per Year
16	Identity card fees	100 One Time	100 One Time	100 One Time
17	Co-Curricular Activities	1000 Per Year	1000 Per Year	1000 Per Year
18	Transcript Fee (Optional)	-	200 One Time	200 One Time
19	Transport Fee	2000 Per Year	2000 Per Year	-
20	Proforma fees	-	-	1000 One Time
Total		40900	40900	55400

2- नर्सिंग पाठ्यक्रमों हेतु उपर्युक्तानुसार निर्धारित शुल्क में 10प्रतिशत की दर से वार्षिक वृद्धि अनुमन्य की जायेगी।

3- नर्सिंग छात्रों से लिये गये उपर्युक्त शुल्क का उपयोग संबंधित कालेजों के प्रधानाचार्यों/निदेशक द्वारा निम्नवत मद में व्यय किया जायेगा-

क्र०सं०	व्यय का मद
1	2
1.	ग्रेस्ट फैकल्टी के मानदेय का भुगतान।



2.	विश्वविद्यालय सम्बद्धता शुल्क।
3.	आई0एन0सी0/उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी नवीनीकरण/निरीक्षण शुल्क।
4.	एक्स्ट्रा करीकुलर एक्टिविटी।
5.	लैम्प लाईटिंग/ओथ सेरेमनी।
6.	छात्रों को क्लीनिकल प्रशिक्षण हेतु अनुबन्धित वाहन में आने वाले व्यय।
7.	नर्सिंग कालेजों द्वारा अपरिहार्यता के दृष्टिगत किसी अन्य मद पर भी व्यय किया जा सकता है।

4- उपर्युक्त मदों में व्यय किये जाने सम्बन्धी व्यवस्था के क्रियान्वयन के संबंध में पृथक से दिशा-निर्देश निर्गत किये जायेंगे।

5- स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा उपर्युक्त व्यवस्था को अंगीकृत किया जायेगा।

कृपया उपर्युक्तानुसार निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

आलोक कुमार
प्रमुख सचिव।

संख्या-उपरोक्त तददिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पेषित-

- 1- निजी सचिव, मा0मंत्री जी/मा0राज्य मंत्री जी, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0।
- 2- महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
- 3- कुल सचिव, के0जी0एम0यू0, लखनऊ।
- 4- समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, उ0प्र0।
- 5- समस्त प्रधानाचार्य, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, उ0प्र0।
- 6- प्रधानाचार्य, कालेज आफ नर्सिंग, कानपुर।
- 7- निदेशक, राजकीय पैरा मेडिकल ट्रेनिंग कालेज, झांसी।
- 8- निदेशक, हृदय रोग संस्थान/जे0के0 कैंसर संस्थान, लखनऊ।
- 9- सचिव, उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी, लखनऊ।
- 10- समस्त वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज, उ0प्र0।
- 11- समस्त वित्त नियंत्रक, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, उ0प्र0।
- 12- चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2/3/4
- 13- गार्ड फाइल।

आज्ञा से



(एस0पी0 सिंह)
अनु सचिव।